



प्रेस विज्ञप्ति

07.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 06.06.2025 को "मीठी नदी गाद निकासी घोटाला" के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दर्ज धन शोधन मामले में चल रही जांच के संबंध में मुंबई, कोच्चि और त्रिशूर में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान में प्रशांत रामगुडे (बीएमसी इंजीनियर), भूपेंद्र पुरोहित (बीएमसी ठेकेदार), मेसर्स मैटप्रॉप टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जय जोशी (मेसर्स विर्गो स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक), केतन कदम (मेसर्स वोडर इंडिया एलएलपी के नियंत्रक) और सैंटिनो रोक्को मोरिया/डिनो मोरिया (केतन कदम के करीबी सहयोगी) से जुड़े कार्यालय/आवासीय परिसर शामिल थे।

ईडी ने मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत 13 व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ बॉम्बे नगर निगम को 65 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

जांच और उक्त तलाशी अभियान के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि प्रशांत रामगुडे, भूपेंद्र पुरोहित, जय जोशी, केतन कदम, मेसर्स मैटप्रॉप टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी और अन्य लोगों ने मीठी नदी से गाद निकालने से संबंधित बीएमसी निविदाओं में हेरफेर करने के इरादे से एक गिरोह बनाया। इस कार्रवाई ने मीठी नदी से गाद निकालने के ठेके देने में प्रभावी रूप से एकाधिकार प्रदान किया और गाद निकालने के कामों के लिए बढ़ी हुई दरों पर भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों और संबंधित पक्षों को अनुचित लाभ हुआ, जिससे सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान हुआ। इन अनुचित वित्तीय लाभों को कुछ फर्जी कंपनियों/फर्मों के माध्यम से छुपाया गया है, जिनका गठन केतन कदम, भूपेंद्र पुरोहित, प्रशांत रामगुडे और अन्य निजी व्यक्तियों की मिलीभगत से किया गया था।

तलाशी के दौरान ईडी ने 7 लाख रुपये नकद जब्त किए और 22 बैंक खातों/एफडीआर तथा 01 डीमैट खाते को फ्रीज कर दिया। अब तक जब्त/फ्रीज किए गए पीओसी की कुल राशि 1.25 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक है। इसके अलावा, तलाशी के दौरान कुछ डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जो पीएमएलए, 2002 के तहत आगे की कार्यवाही के लिए प्रासंगिक प्रतीत होते हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।